पीठासीन अधिकारी श्री जीतूसिंह मीणा आरएएस

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत **136 एलआर एक्ट सं. 21/2019**

मंगलाराम वगै. पिसरान परमानन्द उर्फ परमानाराम जाति नायक निवासी राजासर भाटीयान तह. छतरगढ

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) छतरगढ।

अप्रार्थी

उपस्थित :

1. श्री रविराज सिंह भाटी, अभिभाषक प्रार्थी
2. पैरोकार राज छतरगढ।

निर्णय

दिनांक :—05.04.2021

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अभिभाषक पक्षकारान व पैरोकार राज उपस्थित। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगणों के पिता के नाम से सतासर बारानी के संयुक्त खातें में खसरा नं. 414 में 51.19 बीघा में अपने भाईयों के साथ 1/3 हिस्सा खातेदार कृषि भूमि है। जिस पर प्रार्थीगण काबिज काश्त है। प्रार्थीगणों के पिता का नाम परमानन्द उर्फ परमानाराम जाति नायक निवासी राजासर भाटियान है एवम प्रार्थी के पिता के स्वामित्व एवम खातेदारी की भूमि में प्रार्थीगणों के पिता का नाम सहवन से परमानन्द उर्फ परमानाराम के स्थान पर आनन्द लिखा गया था जो कि आज दिनांक तक आनन्द ही चल रहा है। जिसे दुरूस्त करवानें हेतु उक्त प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Singh Meena
Date: 2021.07.26 12:24:55 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। राजपेरोकार द्वारा रिपोर्ट पूर्व में प्राप्त, प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों को स्वीकार करते हुए, प्रार्थना पत्र का निर्णय किये जाने का निवेदन किया।

वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र मीमों के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी के पिता के नाम से सतासर बारानी के संयुक्त खातें में खसरा नं. 414 में 51.19 बीघा में अपने भाईयों के साथ 1/3 हिस्सा खातेदार कृषि भूमि है। जिस पर प्रार्थीगण काबिज काश्त है। प्रार्थीगणों के पिता का नाम परमानन्द उर्फ परमानाराम जाति नायक निवासी राजासर भाटियान है एवम प्रार्थी के पिता के स्वामित्व एवम खातेदारी की भूमि में प्रार्थीगणों के पिता का नाम सहवन से परमानन्द उर्फ परमानाराम के स्थान पर आनन्द लिखा गया था जो कि आज दिनांक तक आनन्द ही चला आ रहा है तथा प्रार्थी के समस्त दस्तावेजो में जैसे राशन कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, सरंपच द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र व अन्य प्रमाण पत्र, प्रार्थीगणों के आधारकार्ड में प्रार्थी के पिता का सहीं नाम परमानाराम ही दर्ज है। इसलिए राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाकर प्रार्थीगणों के पिता का नाम आनन्द की जगह परमानन्द उर्फ परमानाराम दर्ज करनें का आदेश प्रदान करें।

उभयपक्ष को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार प्रार्थीगणों के पिता का सही नाम परमानन्द उर्फ परमानाराम है एवं प्रार्थीगणों के पिता के नाम से सतासर बारानी के संयुक्त खातें में खसरा नं. 414 में 51.19 बीघा में अपने भाईयों के साथ 1/3 हिस्सा खातेदार कृषि भूमि है। जिस पर प्रार्थीगण काबिज काश्त है। प्रार्थीगणों के पिता का नाम आनन्द के स्थान पर परमानन्द उर्फ परमानारामा दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाकर प्रार्थीगणों के पिता का नाम आनन्द के स्थान पर परमानन्द उर्फ परमानाराम दर्ज करनें का आदेश पारित किया जाता है शेष अंकन यथावत रहेंगे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **05.04.2021** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Singh Meena
Date: 2021.07.26 12:24:55 IST
Reason: SelfAttested

(जीतूसिंह मीणा)
आरएएस
उपखण्ड अधिकारी
छतरगढ़ (बीकानेर)

उपखण्ड अधिकारी
छतरगढ़ (बीकानेर)